पत्रांक–एम–4–20 / 2013....................वि०(2)   दिनांक..

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–198 में प्रावधानित नियम के संबंध में।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–198 के अनुसार डी०सी० विपत्र कोषागार के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। महालेखाकार, बिहार द्वारा सूचित किया गया है कि विगत छः माह में डी०सी० विपत्र सामंजन में कमी आयी है जिसके कारण लंबित ए०सी० विपत्रों की राशि में वृद्धि हो रही है। कोषागारों के माध्यम से प्राप्त डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र में किसी त्रुटि के स्थिति में कोषागार / डीडीओ को वापस करने में कठिनाई हो रही है। विभिन्न विभागों से भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कोषागारों में उनके विभागों से संबंधित डी०सी० / यू०सी० विपत्र कई दिनों तक पड़े रहते हैं। महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी उनके सामंजन / आपति से संबंधित कोई सूचना नहीं दी जाती है। कोषागारों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रेषित डी०सी० / यू०सी० विपत्रों को प्राप्त करने में महालेखाकार कार्यालय में समस्या होती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण सामंजन में विलंब होता है तथा विपत्रों के खोने एवं नष्ट होने की संभावना भी बनी रहती है। वित्त विभागीय संकल्प सं० 4332, दिनांक 02.04.2013 के आलोक में दिनांक 31.12.2012 तक निकासी किये गये ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्रों के सामंजन हेतु डी०सी० / यू०सी० विपत्र वित्त विभाग के अधीन कार्यरत डी०सी० / यू०सी० विपत्र संग्रहण केन्द्र, परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस में प्राप्त किया जा रहा है। 31.12.2012 के बाद भी ए०सी० / सहायक अनुदान विपत्रों पर निकासी की गयी राशि का सामंजन लंबित है। इसलिए संग्रहण केन्द्र अभी आगे भी कार्यरत रहने वाला है। संग्रहण केन्द्र पर वित्त विभाग के तरफ से डी०सी० / यू०सी० विपत्रों की जाँच करने, प्राप्त करने तथा महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने, सामंजन / आपति वाले विपत्रों की सूचना विभाग / डीडीओ को हस्तगत कराने हेतु सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इससे लंबित विपत्रों का सामंजन तीव्र गति से होता है। इस स्थिति में 31.12.2012 तक एवं इसके बाद के डी०सी० / यू०सी० विपत्रों को प्राप्त करने हेतु दो व्यवस्था रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। डी०सी० / यू०सी० विपत्रों की सामंजन हेतु आहूत समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा भी निदेश दिया गया कि सभी अवधि के डी०सी० / यू०सी० विपत्र सुल्तान पैलेस स्थित संग्रहण केन्द्र पर ही प्राप्त किया जाय। अतः डी०सी० / यू०सी० विपत्रों को प्राप्त करने एवं सामंजन के लिए निम्नांकित व्यवस्था की जाती है:–

1. दिनांक 31.12.2012 के बाद निकासी किये गये ए0सी0 विपत्र / सहायक अनुदान विपत्र के विरूद्ध डी0सी0 / यू0सी0 विपत्र कोषागारों में प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

2. वर्ष 2002–03 से लंबित सभी डी0सी0 / यू0सी0 विपत्र बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस, पटना स्थित डी0सी0 / यू0सी0 विपत्र संग्रहण केन्द्र पर ही प्राप्त किये जायेंगे।

3. विपत्रों को समयक जाँचोपरांत संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त किया जायेगा एवं महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। विपत्रों के सामंजन / आपति से संबंधित सूचना संग्रहण केन्द्र पर उपलब्ध होगा।

4. सामंजित विपत्रों से संबंधित एक प्रनाण–पत्र महालेखाकार द्वारा निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर कोषागार पदाधिकारी सी0 टी0 एम0 आई0 एस0 से लंबित ए0सी0 / सहायक अनुदान विपत्रों को हटायेंगे।

ह0 / –

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 1293-वि0 / दिनांक 18/2/16 /

प्रतिलिपि–सभी विभागीय प्राधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

<u>कृषि विभाग</u>

ज्ञापांक–3 कृ०–बजट–विविध–07 / 2014 1192 / कृ०, पटना, दिनांकः –02-03-2016

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक उद्यान / निदेशक भूमि संरक्षण / निदेशक बामेति / निदेशक पी०पी०एम० / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर / नियंत्रक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर / सभी जिला कृषि पदाधिकारी। / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला / सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ / अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण) / सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण) / संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) / उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना / सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय / सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग / लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

H.nandan Letter1/93

विश्वासभाजन

2/3/16

(रामजी सिंह)

सरकार के अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\year -2014\october\22-10-2014.docx

ज्ञापांक– 1192 /कृ०, पटना, दिनांकः –02-03-2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1192 /कृ०, पटना, दिनांकः –02-03-2016

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

02/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।